कार्यालय वनमंडलाधिकारी, (सामान्य) वनमण्डल शाजापुर (म.प्र.)

क्रमांक/मा.चि./2023/ 3663 शाजापुर दिनांक – 21-8-23

प्रति,

कलेक्टर
जिला आगर मालवा

विषय :ई.एम.आई.एल. माइन्स एण्ड मिनिरल रिसोर्सेस लिमिटेड बन्धा कोल ब्लॉक में प्रभावित 807.917 हेक्टेयर वनभूमि के एवज मे वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 23.00 हेक्टेयर शासकीय राजस्व भूमि उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भ–आपका पत्र कमांक/रीडर/2023/378 दिनांक 17–08–2023

विषयांकित आपके संदर्भित पत्र द्वारा ई.एम.आई.एल. माइन्स एण्ड मिनिरल रिसोर्सेस लिमिटेड बन्धा कोल ब्लॉक में प्रभावित 807.917 हेक्टेयर वनभूमि के एवज मे वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु तहसील आगर ग्राम घुराशिया सर्वे क. 194 रकबा 40.080 हे. में से 23.00 हेक्टेयर शासकीय राजस्व भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में वैकल्पिक वृक्षारोपण उपयुक्तता संबंधी अभिमत चाहा गया है।

चयनित शासकीय राजस्व भूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्ता के संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी आगर से निरीक्षण कराया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी आगर द्वारा उनके पत्र कमांक 1289 दिनांक 11.08.2023 से निरीक्षण प्रतिवेदन उप वनमण्डलाधिकारी आगर के पत्र कमांक 2394 दिनांक 18.08.2023 के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें तहसील आगर ग्राम घुराशिया सर्वे क. 194 रकबा 40.080 हे. में से 23.00 हेक्टेयर शासकीय राजस्व भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाई गई एवं अतिक्रमण मुक्त है।

प्रस्तावित भूमि वन प्रबंधन एवं वृक्षारोपण की दृष्टि से उपयुक्त है। प्रस्तावित भूमियां किसी अन्य परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित नही की गई है, उक्त भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित होने पर भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा–29 के अंतर्गत अधिसूचित कराने की कार्यवाही की जावेगी।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

पृ.क्रमांक/मा.चि./2023/ 3664 शाजापुर, दिनांक– 21-8-23

प्रतिलिपि–

1. उप वनमण्डलाधिकारी, आगर वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी आगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर